न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 979 / 09

संस्थित दिनाँक-16.12.09

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद जिला—भिण्ड (म०प्र०)**अभियोगी**

विरुद्ध

- 1. जसरथ पुत्र रामस्वरूप जोशी उम्र 28 साल
- 2. जोगेन्द्र उर्फ बट्टो पुत्र हेमसिंह गुर्जर उम्र 28 साल
- रामवीर पुत्र अहिवरनिसंह गुर्जर उम्र 36 साल निवासीगण ग्राम आलोरी थाना गोहद जिला भिण्ड
- फरार— 4. मनोज पुत्र शोभाराम बघेले उम्र 30 साल निवासी ग्राम गिरवाई थाना माधौगंज, ग्वालियर म०प्र०

.....अभियुक्तगण

_:: निर्णय ::-(आज दिनांक 13.05.2017 को घोषित)

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा—380 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.05.2009 को 12:30 बजे फरियादी का मकान ग्राम आलोरी हार में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी बाबूराम के स्वामित्व व आधिपत्य की भैंस जो उसके घर के अंदर बंधी थी, को उसके घर के अंदर से उसकी सहमति के बिना खोलकर ले जाकर चोरी कारित की।

- 2. प्रकरण में अभियुक्त मनोज फरार है। अतः यह निर्णय उपस्थित अभियुक्तगण के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 03.05.2009 की अर्द्ध रात्रि करीब 12:30 बजे फरियादी बाबूराम जाटव अपनी पत्नी रामबेटी के साथ मकान के बाहर सो रहा था। मकान के अंदर उसकी भैंसे बंधी थी। रात करीब 12 बजे उसने देखा कि चार लोग उसकी भैंसे खोलकर ले जा रहे हैं तब अपनी पत्नी को आवाज दी और जागकर बाहर आए। भैंस छुड़ाने के लिए पीछा किया। पत्नी के चिल्लाने पर हेमसिंह, टिंकू, कल्लू गुर्जर आ गए जिन्होंने साथ मे भैस ढूढ़ी किन्तु नहीं मिली। उक्त भैंस करीब 25 हजार रूपये की थी। पीछा करने में फरियादी एवं उसकी

पत्नी के गिरने से चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट उक्त दिनांक को करने से अप०क० 101/09 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, साक्षीगण के कथन लेख किए गए। अभियुक्तगण से अनुसंधान के दौरान धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन लिए गए। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण में अभियुक्तगण ने निर्दोष होना तथा झूंठा फंसाया जाना बताया।
- 5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

 1.क्या अभियुक्तगण ने दि० 03.05.2009 को 12:30 बजे फरियादी का मकान ग्राम आलोरी हार में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी बाबूराम के स्वामित्व व आधिपत्य की भैंस जो उसके घर के अंदर बंधी थी, को उसके घर के अंदर से उसकी सहमति के बिना खोलकर ले जाकर चोरी कारित की ?

<u>-:: सकारण निष्कर्ष ::-</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामबेटी अ०सा० 1, ज्ञानसिंह अ०सा० 2, मुन्नीलाल मौर्य अ०सा० 3, डी०एल० धनेले अ०सा० 4, रामवीर अ०सा० 5, को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त जसरथ की ओर से हेमसिंह ब०सा० 1 परीक्षित कराया गया है।
- 7. फरियादी बाबूराम की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की जा सकी। उसकी मृत्यु पूर्व में हो गयी। रामबेटी अ0सा0 1 को परीक्षित कराया गया जो यह कथन करती हैं कि 4—5 साल पहले रात करीब 12 बजे उनके घर चोरी हुई थी। वे उस दिन घर के अंदर सो रही थी पित बाबूराम घर के बाहर सो रहे थे तब रामवीर, जसरथ व मनोज ने लाठी सिर में मारी और पित बाबूराम की मारपीट की और उनके दांत तोड दिए। अभियुक्त उसके यहां से एक भैंस ले गए जो 20 हजार रूपये की थी। भैंस को ढूंढा लेकिन नहीं मिली। इस प्रकार से साक्षी व अभियुक्तगण रामवीर, जसरथ व मनोज की अपराध में संलिप्तता का कथन करते हुए उनके द्वारा उसके पित की मारपीट करते हुए भैंस चुरा ले जाने का कथन किया है। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करती है कि उस समय लाईट नहीं थी जब वह आंगन में सो रही थी। यह स्वीकार करती है कि अंधेरे का समय था, कोई आदमी पहचान नहीं पा रहे थे। साक्षी द्वारा अपना सिर फट जाने एवं 6 टांके आने का कथन किया है किन्तु रिपोर्ट प्रपी0 8 में किसी अभियुक्त का नाम उल्लेखित नहीं हैं और न हीं किसी के द्वारा फिरियादी व उसकी पत्नी की मारपीट के संबंध में कोई तथ्य लेख है। साक्षी का कथन उसके पूर्वतन कथन से पूर्णतः विरोधाभासी है।

- 8. ज्ञानिसंह अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि घटना 5 साल पहले की है। उनकी माँ घर के अंदर सो रही थी तब चोर आए और उनकी माँ रामबेटी की मारपीट की व एक भैंस चुरा ले गए। साक्षी यह कथन करता है कि वह चोरी के समय छत पर सो रहा था। साक्षी यह कथन करता है कि छत पर नसेनी (सीढी) से पहुंचा जा सकता था जिसे चोरों ने हटा दिया था। साक्षी बताता है कि चार चोर आए थे जिन्होंने उसके पिता की भी मारपीट की। साक्षी उक्त व्यक्तियों में रामवीर, मनोज व जसरथ का होना बताता है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की किण्डका 2 में कथन करता है कि उसने अभियुक्तगण को 15 फीट से देखा था। यह स्वीकार करता है कि उस समय अंधेरा था, किन्तु थोडा थोडा दिखाई देना बताता है। साक्षी पुलिस कथन में आरोपीगण के नाम बताने का कथन करता है किन्तु पुलिस कथन में किसी भी अभियुक्त का नाम लेख नहीं हैं और घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति न होकर अन्य स्थान पर लेख है और सूचना मिलने पर घर आने का तथ्य लेख है। ऐसे में इस साक्षी की साक्ष्य में भी तात्विक विरोधाभासी तथ्य अभिलेख पर प्रकट हुए हैं।
- 09. साक्षी रामवीर अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि उन्हें बाबूराम की भैंस चोरी होने की बात पता चली थी, इसके अलावा कुछ नहीं पता। साक्षी को पक्षविरोधी घोषितकर उससे सूचक प्रश्नों में दिनांक 02.05.09 को ग्राम पारसेन से सुबह 3 बजे आने में पारसेन के हार में अभियुक्तगण को फरियादी की भैंस ले जाते हुए देखने का सुझाव दिया जिसे साक्षी ने इंकार किया। साक्षी द्वारा प्र0पी0 11 के पुलिस कथन के ए से ए सारवान भाग का तथ्य लिखाए जाने से इंकार किया है। अन्य साक्षी नाथूराम भी मृत हो जाने से उसकी साक्ष्य नहीं ली जा सकी। प्रकरण में अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता के संबंध में जो चक्षुदर्शी साक्ष्य रामबेटी अ0सा0 1 व ज्ञानसिंह अ0सा0 2 को प्रस्तुत किया गया है वह विश्वसनीय नहीं हैं। पूर्वतन कथनों में तात्विक विरोधाभास का तथ्य अभिलेख पर है। ऐसे में अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है।
- 10. मुन्नीलाल मौर्य अ०सा० 3 अनुसंधानकर्ता है जो दिनांक 03.05.09 को अपराध की केस डायरी प्राप्त होना बताते हैं। साथ ही यह कथन करते हैं कि दिनांक 03.06.09 को अभियुक्त जसरथ से पूछताछ कर उसका धारा 27 का ज्ञापन समक्ष गवाहान लिया था जिसमें अभियुक्त द्वारा बाबूराम की भैंस चोरी कर पासान के हार तक ले जाने और उसके बाद रामबीर के अकेले भैंस ले जाने का कथन बताया था। उक्त ज्ञापन प्र0पी० 2 बताकर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। दिनांक 29.06.09 को अभियुक्त जोगेन्दर से धारा 27 का ज्ञापन इसी प्रकार से लिए जाने जिसमें दिनांक 03.05.09 को उक्त भैंस रामबीर के द्वारा ले जाए जाने की बात पता चलने का कथन किया है। दिनांक 28.06.09 को अभियुक्त विट्टो उर्फ जोगेन्दर से उक्त भैंस रामवीर के अकेले ले जाने के संबंध में तथ्य पता चलने का कथन किया है। ज्ञापन प्र0पी० 5, 6 के रूप में लिए जाने का कथन

किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त रामवीर एवं मनोज को दिनांक 01.12.09 को तत्कालीन उपनिरीक्षक डी०एल० धनेले द्वारा गिरफ्तार कर गिर० पंचनामा प्र०पी० ९ व 10 बनाए जाने का कथन किया है। प्रकरण में अभियुक्त रामवीर से कोई भी ज्ञापन लिया जाना अभिलेख पर नहीं हैं और न हीं कोई जब्ती हुई है।

- भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 26 पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति को उसके विरुद्ध प्रमाणित न किए जाने का उपबंध करती है। इस सिद्धांत के अपवाद सवरूप धारा 27 में उपबंधित है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जावेगी। "परंत् जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफीसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद् द्वारा पता चले तथ्य से स्पष्टतः संबंधित है, साबित की जा सकेगी। इस प्रकार से उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में अपराध के अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति में पता चले तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि पता चला तथ्य के अधीन न केवल भौतिक वस्तु आती है बल्कि ऐसी जानकारी भी आती है जो कि भौतिक तथ्य के रूप में न हो किन्तु ऐसी जानकारी के आधार पर तथ्य प्रमाणित होना चाहिए। इस संबंध में न्यायदृष्टांत <u>मौहम्मद इनायतुल्लाह विरूद्ध महाराष्ट राज्य ए०आई०आर० 1976</u> एस0सी0 483: 1976-1 एस0सी0सी0 828 एवं महाराष्ट राज्य विरुद्ध दामू गोपीनाथ शिन्दे व अन्य एआईआर 2000 एस0सी0 1691: 2000—6 एस0सी0सी0 269 अवलोकनीय हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण जसरथ, जोगेन्द्र उर्फ विट्टा से धारा 27 का ज्ञापन अनुसंधानकर्ता द्वारा लिया जाना अवश्य बताया है किन्तु उस तथ्य के आधार पर अभियुक्त रामवीर से कोई जानकारी नहीं ली गयी और न हीं अभिकथित भैंस जब्त की गयी।
- 12. प्रकरण में अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता का आधार धारा 27 साक्ष्य विधान के ज्ञापन को बताया गया है किन्तु अभिकथित ज्ञापन प्र०पी० 5, 6, 2 के आधार पर यदि कोई तथ्य का पता नहीं चला, जो कि इस प्रकरण में विषय वस्तु भैंस की जब्ती की, तो ऐसी दशा में उक्त प्र०पी० 5, 6 व 2 के दस्तावेज संस्वीकृति स्वरूप के मात्र रह जायेंगे जो कि अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं। प्रकरण में अभियुक्त रामवीर के द्वारा चुराई हुई भैंस ले जाए जाने के संबंध में प्र०पी० 5, 6 व 2 में तथ्य बताए गए थे किन्तु अनुसंधानकर्ता द्वारा दिनांक 01.12.09 को अभियुक्त रामवीर एवं मनोज को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र को प्रस्तुत कर दिया है जो कि अभियोजन के मामले को पूर्णतः ध्वस्त कर देता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध में संलिप्त होने के संबंध में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला अपूर्ण व खण्डित हो जाती है। ऐसे में किया गया अनुसंधान

एवं प्रस्तुत अभियोगपत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध को प्रमाणित करने हेतु अपर्याप्त व दोषपूर्ण साक्ष्य को रखते हैं।

- 14. दांडिक विधि के अनुसार अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत वर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। ''सत्य हो सकता है'' और ''सत्य होना चाहिए'' के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।
- 15. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 03.05.2009 को 12:30 बजे फरियादी का मकान ग्राम आलोरी हार में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी बाबूराम के स्वामित्व व आधिपत्य की भैंस जो उसके घर के अंदर बंधी थी, को उसके घर के अंदर से उसकी सहमति के बिना खोलकर ले जाकर चोरी कारित की। अतः अभियुक्त जसरथ, रामवीर व जोगेन्दर को संहिता की धारा 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 16. अभियुक्तगण की जमानत भारहीन जाती है, उनके निवेदन पर बंधपत्र दप्रस की धारा 437 ए के अधीन निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। अभियुक्त रामवीर जेल में हैं उसके प्रोडक्शन वारंट पर टीप लगाई जावे कि अन्य प्रकरण में न चाहा गया तो छोड़ा जावे।
- 17. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।
- 18. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला मिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश